मध्यप्रदेश विधान सभा

संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

शुक्रवार, दिनांक 9 मार्च, 2018 (फाल्गुन 18, शक संवत् 1939)

विधान सभा पूर्वाह्न 11:02 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 11 प्रश्नों (प्रश्न संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 एवं 14) पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये. प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 136 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 139 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

तारांकित प्रश्न संख्या 14 (क्रमांक 2573) पर श्री जितू पटवारी, सदस्य द्वारा आसंदी से अनुरोध किया गया कि मेरे इस प्रश्न को संशोधित किया गया है जब प्रश्न की आत्मा चली गई तो उत्तर और आंकड़े कैसे मिलेंगे और फिर हम सवाल कैसे करेंगे. आसंदी द्वारा श्री जितू पटवारी सदस्य को सूचित किया गया कि प्रक्रिया अनुसार किया गया, आप अपनी बात लिखकर दे दीजिये और जो यहां पर है अभी उसमें से पूछिये. डॉ. नरोत्तम मिश्र, संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि ये अधिकार अध्यक्ष को है कि वो प्रश्न को संशोधित कर सकते हैं.

श्री जितू पटवारी, सदस्य ने कहा कि मैंने नर्मदा सेवा यात्रा पर कुल कितनी राशि खर्च होने का प्रश्न पूछने पर शासन ने 1837 लाख राशि खर्च होना बताया परन्तु आज ही श्री जयवर्द्धन सिंह, सदस्य के प्रश्न में नर्मदा सेवा यात्रा के विज्ञापनों पर लगभग 21 करोड़ की राशि खर्च होना विभाग ने बताई है. इस तरह राशि में अंतर क्यों आया है. श्री लाल सिंह आर्य, राज्यमंत्री, सामान्य प्रशासन ने आसंदी को सूचित किया कि कल दिनांक 8 मार्च, 2018 को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा नर्मदा सेवा यात्रा के संबंध में समुचित जवाब दिया जा चुका है.

श्री जितू पटवारी, सदस्य द्वारा मीडिया व सरकार पर असंसदीय शब्दावली का उपयोग करने पर डॉ. नरोत्तम मिश्र, संसदीय कार्य मंत्री द्वारा आपत्ति लिये जाने और माननीय सदस्य से क्षमा मांगने, साथ ही उनकी शब्दावली को कार्यवाही में यथावत रखने का आसंदी से अनुरोध किया. सर्वश्री जितू पटवारी, रामनिवास रावत, कुंवर विक्रम सिंह, डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्गण ने आसंदी को सूचित किया कि मीडिया को लेकर श्री जितू पटवारी द्वारा कोई असंसदीय टिप्पणी नहीं की गई है इसलिए उनके द्वारा क्षमा मांगने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता बल्कि संसदीय कार्य मंत्री द्वारा बात को गलत ढंग से पेश करने के लिए क्षमा मांगनी चाहिए. अध्यक्ष महोदय ने सूचित किया कि उन्होंने श्री जितू पटवारी द्वारा असंसदीय शब्दावली को कार्यवाही से विलोपित करने के निर्देश दे दिये हैं.

2. गर्भगृह में प्रवेश

श्री जितू पटवारी सहित इंडियन नेशनल काँग्रेस के सदस्यगण इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रचार-प्रसार पर व्यय संबंधी तारांकित प्रश्न संख्या 14 (क्रमांक 2573) पर शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर गर्भगृह में आये.

व्यवधान होने के कारण अध्यक्ष महोदय द्वारा अपराह्न 12.02 बजे सदन की कार्यवाही 10 मिनट के लिये स्थगित की जाकर अपराह्न 12.20 बजे विधान सभा पुन: समवेत् हुई.

अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.

3. नियम 267-क के अधीन विषय

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार –

(1) श्री बहादुर सिंह चौहान, सदस्य की क्षिप्रा नदी के अपस्ट्रीम में बने बैराजों के गेंटों को खोले जाने,
(2) श्री आरिफ अकील, सदस्य की भोपाल में पुलिस द्वारा यातायात नियमों का पालन न कराये जाने,
(3) इंजी. प्रदीप लारिया, सदस्य की श्री देव ठाकुर बाबा मंदिर जरूवाखेडा में पेयजल योजना स्वीकृत न होने से पेयजल समस्या होने,
(4) श्री सुखेन्द्र सिंह, सदस्य की प्रदेश में अनुसूचित जाति व जनजाति के रहवासियों को पट्टे न मिलने,
(5) श्री प्रदीप अग्रवाल, सदस्य की ग्राम धोंरी के समीप नहर पर पुलिया न होने से आवागमन में परेशानी होने,
(6) श्री आशीष गोविन्द शर्मा, सदस्य की पौधारोपण का रखरखाव न होने,
(7) श्री मानवेन्द्र सिंह, सदस्य की भोपाल के वार्ड क्रमांक 81 मे विद्युत समस्या का समाधान न होने,
(8) श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार, सदस्य की मुरैना-भिण्ड मार्ग को जोड़ने वाले पिलुआ-कोतवाल बांध मार्ग पर बना पुल जर्जर होने,
(9) श्री रामनिवास रावत, सदस्य की वीरपुर तहसील मे उच्च शिक्षा हेतु महाविद्यालय खोले जाने,
(10) श्री दिनेश राय, सदस्य की महिला बाल विकास मे कार्यकर्ता सहायिकाओं को नियमित किये जाने,
(11) कुंवर सौरभ सिंह, सदस्य की कटनी जिले की बहोरीबंद के अंतर्गत स्वीकृत जलाशयों का कार्य प्रारम्भ न होने,
(12) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य की भिण्ड जिले के लहार क्षेत्र के दुग्ध उत्पादकों के समक्ष आर्थिक संकट उत्पन्न होने,
(13) श्री सुन्दरलाल तिवारी, सदस्य की रीवा जिले के शासकीय पोलिटेक्निक कालेज मे हॉस्टल सुविधा न होने से छात्र परेशान होने,
(14) श्री अरूण भीमावद, सदस्य की शाजापुर के ग्राम कलकी एवं चोसला कुल्मी ग्रामों मे कम वोल्टेज की समस्या होने,
(15) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया, सदस्य की रतलाम मंदसौर एवं नीमच जिले में मादक पदार्थ की तस्करी होने,
(16) श्री अजय सिंह, सदस्य की सतना जिले मे भीषण पेयजल संकट होने,
(17) श्री शंकर लाल तिवारी, सदस्य की सतना नगर निगम सीमा के अन्तर्गत सड़कों की जर्जर हालात होने,
(18) श्री के. डी. देशमुख, सदस्य की कटंगी क्षेत्र में स्थित विद्यालयों में कक्षों की कमी होने,
(19) श्री बाला बच्चन, सदस्य की किसानों के बैंक खातों से लाक हटवाये जाने,
(20) श्री दुर्गालाल विजय, सदस्य की श्योपुर के मेन केनाल से ग्राम दीवान चंद्र का डेरा तक सड़क का डामरीकृत किये जाने,
(21) श्री हरदीप सिंह डंग, सदस्य की ग्राम पंचायत मेरियाखेडी के पीड़ितों को मुआवजा एवं भूमि पटटे न मिलने,
(22) श्री प्रताप सिंह, सदस्य की ग्राम पंचायत चौरई के ग्राम गुररहा टोल के सड़क एवं तालाब जीर्ण शीर्ण होने तथा
(23) श्री नीलेश अवस्थी, सदस्य की जबलपुर में शरीफ हीरा द्वारा अपहरण किये जाने की घटना होने,

संबंधी नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं प्रस्तुत हुईं मानी गईं.

4. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री राजेन्द्र शुक्ल, खनिज साधन मंत्री ने मैगनीज ओर इंडिया लिमिटेड (मॉयल लिमिटेड) की 55 वीं वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 2016-17 पटल पर रखी.

(2) श्री जयभान सिंह पवैया, उच्च शिक्षा मंत्री ने –

(क) मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के निम्न प्रतिवेदन -

(i) विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन का 60 वां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2016-2017,

(ii) बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल का 45 वां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2016-2017,

(iii) रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2016-2017, एवं

(iv) देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2017, तथा

(ख) मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 के तहत निम्न अधिसूचनाएं -

(i) क्र. एफ 2-23-2017-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.44, दिनांक 30 नवम्बर, 2017,

(ii) क्र.एफ 2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.39, दिनांक 02 जनवरी,2018,

(iii) क्र.एफ 2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.-44, दिनांक 02 जनवरी, 2018,

(iv) क्र.एफ 2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.05, दिनांक 02 जनवरी, 2018,

(v) क्र.एफ 2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी. 11, दिनांक 02 जनवरी, 2018,

(vi) क्र.एफ 2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.36, दिनांक 02 जनवरी, 2018, तथा

(vii) क्र. एफ 2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी., दिनांक 04 जनवरी, 2018

पटल पर रखीं.

(3) श्री संजय पाठक, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, राज्यमंत्री ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के लघु उद्यम फेसिलिटेशन काउन्सिल नियम, 2017 पटल पर रखा.

5. ध्यान आकर्षण

अध्यक्ष महोदय द्वारा घोषणा की गई कि आज की कार्यसूची में 9 ध्यानाकर्षण सूचनाओं को उनके विषय की गंभीरता और महत्व को देखते हुए सम्मिलित किया गया है. विधान सभा नियमावली के नियम 138 (3) को शिथिल करके यह प्रक्रिया निर्धारित की गई है कि इनमें से क्रमश: प्रथम 2 ध्यान आकर्षण सूचनाओं को संबंधित सदस्यों के द्वारा सदन में पढ़ी जाने के पश्चात संबंधित मंत्री द्वारा वक्तव्य दिया जावेगा तथा उनके संबंध में सदस्यों द्वारा नियमानुसार प्रश्न पूछे जा सकेंगे. उसके बाद की अन्य सूचनाओं के संबंध में प्रक्रिया यह होगी कि वे सूचनाएं सभा में उपस्थित सदस्यों द्वारा पढ़ी हुई मानी जायेंगी तथा उनके संबंध में लिखित वक्तव्य संबंधित मंत्री द्वारा पटल पर रखा माना जायेगा. लिखित वक्तव्य की एक-एक प्रति सूचना देने वाले सदस्यों को दी जायेगी. उपस्थित सदस्यों की सूचनाएं तथा उन पर संबंधित मंत्री का वक्तव्य कार्यवाही में मुद्रित किया जायेगा. तद्नुसार -

(1) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य, भिण्ड जिले के मौ नगर की पेयजल योजना हेतु कृषकों की खड़ी फसल नष्ट किये जाने की ओर नगरीय विकास एवं आवास मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

उपाध्यक्ष महोदय (डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह) पीठासीन हुए.

श्रीमती माया सिंह, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री ने वक्तव्य दिया.

अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.

(2) डॉ. मोहन यादव, श्री बहादुर सिंह चौहान, श्री देवेन्द्र वर्मा, श्री शंकरलाल तिवारी, सदस्यगण, उज्जैन में नर्मदा क्षिप्रा लिंक परियोजना के तहत जल प्रवाह न बनाये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर राज्यमंत्री नर्मदा घाटी विकास का ध्यान आकर्षित किया.

श्री लालसिंह आर्य, राज्यमंत्री, नर्मदा घाटी विकास ने वक्तव्य दिया.

(श्री शंकरलाल तिवारी, सदस्य ने सतना में मेडिकल कॉलेज खोलने एवं नेश्नल क्वालिटी एश्योरेंस सर्टीफिकेट प्राप्त करने का गौरव जिला अस्पताल को मिला है, इसके लिये मध्यप्रदेश की समूची सरकार को हृदय से धन्यवाद दिया. साथ ही श्री राजेन्द्र शुक्ल, खनिज साधन मंत्री ने भी श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, श्री शरद जैन, राज्य मंत्री, चिकित्सा शिक्षा को भी अपनी ओर से धन्यवाद दिया.)

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार, कार्यसूची के पद 3 के उपपद (3) से (9) तक के सदस्यगण की निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचनाएं तथा उन पर संबंधित मंत्रीगण द्वारा वक्तव्य पढ़े हुए माने गए –

(3) श्री आरिफ अकील, सदस्य की भोपाल नगर निगम द्वारा झील संरक्षण के नाम पर अनियमितता किये जाने संबंधी सूचना तथा नगरीय विकास एवं आवास मंत्री का वक्तव्य.

(4) श्री तरूण भनोत, सदस्य की जबलपुर स्थित शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक शाला भवनों की जर्जर हालत होने संबंधी सूचना तथा स्कूल शिक्षा मंत्री का वक्तव्य.

(5) सुश्री हिना लिखीराम कावरे, सदस्य की बालाघाट जिले में नियमित रूप से विद्युत प्रदाय न होने संबंधी सूचना तथा ऊर्जा मंत्री का वक्तव्य.

(6) डॉ. कैलाश जाटव, सदस्य की नरसिंहपुर जिले के गोटेगांव क्षेत्र में नहर निर्माण में अनियमितता किये जाने संबंधी सूचना तथा राज्यमंत्री नर्मदा घाटी विकास का वक्तव्य.

(7) श्री शंकरलाल तिवारी, सदस्य की सतना में मेडिकल कालेज खोले जाने की मांग किये जाने संबंधी सूचना तथा राज्यमंत्री चिकित्सा शिक्षा का वक्तव्य.

(8) श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार, सदस्य की मुरैना शहर का गंदा पानी क्वारी नदी में छोड़े जाने संबंधी सूचना तथा नगरीय विकास एवं आवास मंत्री का वक्तव्य.

(9) श्रीमती उमादेवी लालचंद खटीक, सदस्य की दमोह जिले के हटा एवं पटेरा विकास खंड के जलाशय एवं नहरें क्षतिग्रस्त होने संबंधी सूचना तथा जल संसाधन मंत्री का वक्तव्य.

6. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

श्री शंकरलाल तिवारी, सभापति ने याचिका समिति का याचिकाओं से संबंधित पचपनवां, छप्पनवां एवं सत्तावनवां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया.

7. याचिकाओं की प्रस्तुति

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार, दैनिक कार्यसूची में उल्लिखित सदस्यों द्वारा याचिकाएं प्रस्तुत हुई मानी गईं :-

(1) इंजी. प्रदीप लारिया (जिला-सागर)
(2) डॉ. गोविन्द सिंह (जिला-भिण्ड)
(3) श्री लखन पटेल (जिला-दमोह)
(4) कुंवर सौरभ सिंह (जिला-कटनी)
(5) श्रीमती ममता मीना (जिला-गुना)
(6) डॉ. रामकिशोर दोगने (जिला-हरदा)
(7) श्री मधु भगत (जिला-बालाघाट)
(8) श्री दिनेश राय (जिला-सिवनी)
(9) श्री दीवान सिंह पटेल (जिला-बड़वानी)
(10) श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार (जिला-मुरैना)
(11) श्री दुर्गालाल विजय (जिला-श्योपुर)
(12) श्री प्रहलाद भारती (जिला-शिवपुरी)
(13) श्री सुन्दरलाल तिवारी (जिला-रीवा)
(14) श्री हर्ष यादव (जिला-सागर)
(15) डॉ. कैलाश जाटव (जिला-नरसिंहपुर)
(16) श्री दिलीप सिंह परिहार (जिला-नीमच)
(17) श्री आर.डी. प्रजापति (जिला-छतरपुर)
(18) श्री नारायण सिंह पँवार (जिला-राजगढ़)
(19) श्री अमर सिंह यादव (जिला-राजगढ़)
(20) श्री रामनिवास रावत (जिला-श्योपुर)
(21) श्री गोवर्धन उपाध्याय (जिला-विदिशा)

8. वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा.

श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री द्वारा दिनांक 28 फरवरी, 2018 को सदन में उपस्थापित, वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक पर प्रारम्भ हुई सामान्य चर्चा में निम्नलिखित सदस्यगण ने भाग लिया :-

(1) श्री मुकेश नायक (चर्चा जारी)

9. अध्यक्षीय घोषणा
भोजनावकाश में भी सदन की कार्यवाही जारी रहना

अध्यक्ष महोदय ने सदन की सहमति से सूचित किया कि आज भोजनावकाश में भी सदन की कार्यवाही जारी रहेगी. आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा में दोनों प्रमुख दलों के एक-एक सदस्य अपना भाषण देंगे, तदुपरांत कार्यसूची में उल्लेखित अशासकीय कार्य लिया जाएगा.

10. वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा (क्रमश:)

उपाध्यक्ष महोदय (डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह) पीठासीन हुए.

श्री मुकेश नायक (चर्चा जारी)

11. कोरम के अभाव में सदन की कार्यवाही स्थगित की जाना

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा कोरम के अभाव में अपराह्न 1.35 बजे सदन की कार्यवाही 5 मिनट के लिये स्थगित की जाकर अपराह्न 1.40 बजे विधान सभा पुन: समवेत् हुई.

उपाध्यक्ष महोदय (डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह) पीठासीन हुए.

12. वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा (क्रमश:)

(1) श्री मुकेश नायक (चर्चा पूर्ण)
(2) श्री ओमप्रकाश सखलेचा

13. अध्यक्षीय घोषणा
अशासकीय संकल्पों को एकजाई कर चर्चा कराने विषयक

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से यह घोषणा की गई कि विधान सभा नियमावली के नियम-27 (4) के अनुसार एक दिन की बैठक हेतु 5 से अनधिक अशासकीय संकल्प कार्य सूची में सम्मिलित किये जाने का उल्लेख है परंतु विषयों की एकरूपता को देखते हुए सदन की अनुमति की प्रत्याशा में आज की कार्य सूची में प्रथम दो संकल्पों के साथ रेल्वे संबंधी-4 अशासकीय संकल्पों को एकजाई कर सम्मिलित किया गया है.

14. अशासकीय संकल्प

(1) श्री रामनिवास रावत, सदस्य ने निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत किया कि "यह सदन केन्द्र शासन से अनुरोध करता है कि प्रदेश के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के स्थायी जाति प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया का सरलीकरण किया जाए.". तथा संक्षिप्त भाषण दिया.

संकल्प प्रस्तुत हुआ.

श्री लाल सिंह आर्य, राज्यमंत्री अनुसूचित जाति कल्याण ने चर्चा का उत्तर दिया.

सदन की अनुमति से संकल्प वापस हुआ.

(2) श्री के.डी. देशमुख, सदस्य ने निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत किया कि "यह सदन केन्द्र शासन से अनुरोध करता है कि मध्यप्रदेश में निवासरत गोवारी जाति को मध्यप्रदेश राज्य के पिछड़ा वर्ग की सूची से विलोपित किया जाए.".

संकल्प प्रस्तुत हुआ.

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) श्री श्री के.डी. देशमुख

(2) सुश्री हिना लिखीराम कावरे

श्रीमती ललिता यादव, राज्य मंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण ने चर्चा का उत्तर दिया.

सदन की अनुमति से संकल्प वापस हुआ.

(3) श्री शंकरलाल तिवारी, सुश्री हिना लिखीराम कावरे, आशीष गोविन्द शर्मा, सदस्यगण ने निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत किया कि "यह सदन केन्द्र शासन से अनुरोध करता है कि – (i) ट्रेन क्रमांक 11039 / 11040 महाराष्ट्र एक्सप्रेस एवं ट्रेन क्रमांक 12105 / 12106 विदर्भ एक्सप्रेस ट्रेन को जिला मुख्यालय बालाघाट से चलाया जाए तथा ट्रेन क्रमांक 18243 / 18244 बिलासपुर भगत की कोठी तथा ट्रेन क्रमांक 18245 / 18246 बिलासपुर बीकानेर का स्टापेज दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे के आमगाँव स्टेशन पर किया जाए, (ii) रीवा से नागपुर के बीच चलने वाली साप्ताहिक ट्रेन क्रमांक 22136 को प्रतिदिन चलाया जाए, तथा (iii) हरदा रेल्वे स्टेशन पर सभी प्रमुख ट्रेनों का स्टॉपेज किया जाए.".

संकल्प प्रस्तुत हुआ.

सुश्री हिना लिखीराम कावरे, सदस्य ने संशोधन प्रस्तुत किया कि संकल्प की प्रथम पंक्ति में शब्दावली ट्रेन क्रमांक 11039, 11040 के पहले शब्दावली दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बालाघाट स्टेशन को वाशिंग लाईन स्टेशन बनाते हुए जोड़ा जाए.

संशोधन स्वीकृत हुआ.

डॉ. नरोत्तम मिश्र, संसदीय कार्य मंत्री ने चर्चा का एक साथ उत्तर दिया.

एकजाई संकल्प सर्वसम्मति से स्वीकृत हुए.

अपराह्न 2.52 बजे विधान सभा की कार्यवाही सोमवार, दिनांक 12 मार्च, 2018 (21 फाल्गुन, शक सम्वत् 1939) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

ए. पी. सिंह,
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल:
दिनांक: 9 फरवरी, 2018